न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— उमा मित्तल आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :— 61/2024

1. महावीर पुत्र दौलतराम } जाति जाट साकिन दौलतांवाली
2. सुशीला पत्नी महावीर } तहसील तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. सन्जू पुत्री महावीर पत्नी राहूल जाति जाट साकिन वार्ड नं. 39 हनुमानगढ़ जंक्शन व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. दलीप } पिसरान दौलतराम जाति जाट साकिन दौलतांवाली
2. भूप सिंह } तहसील पीलीबंगा।
3. महेन्द्र सिंह } जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. एचडीएफसी बैंक लि. शाखा पीलीबंगा जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पीलीबंगा जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. ओबीसी बैक शाखा पीलीबंगा जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री जगराज सिंह भारी —— प्रार्थीगण
2. श्री शेलेन्द्र बिश्नोई ——अप्रार्थी संख्या 1 व 2
3. श्री हनुमान भादू ——अप्रार्थी संख्या 3
4. राज पैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा ——अप्रार्थी संख्या 7

—:: निर्णय :—

दिनांकः—03/09/25

अधिवक्ता प्रार्थी श्री जगराज सिंह भारी द्वारा प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है तथ्य इस प्रकार है कि —यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है जिसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना है। यह कि प्रार्थी सं.1 व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 के नाम सयुक्त खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 टी के खाता सं. 36/20 के प.नं. 52/350 (30) किला नं. 1/2, 2 ता 9, 10/2, 11/2, 12 [illegible] की 5.580 हैक. कमांड खातेदारी में प्रार्थी सं. 1 का 1/4 हिस्सा दर्ज रि[illegible] वा[illegible]। चित्रप्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है। यह कि प्रार्थी सं.2, 3 व [illegible] के नाम सयुक्त खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 [illegible] के प.नं. 50/347 (9) कि[illegible] 1/3, 1/4, 2/3, 2/4, 3/3, 3/4, 4/3, 4/4, [illegible]3, 5/4, 6/1, 6/2, [illegible] 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 20, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/3, 25/45. 707 हैव. कमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में प्रार्थी सं.2 का 1635/11414 हिस्सा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:57:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थी सं. 3 का 1635/11414 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके है। चित्रप्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थी सं.1 व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 के नाम सयुक्त खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 8 एसटीबी के खाता सं. 36/27 के प.नं. 48/355 (25) किला नं. 15 ता 17, 24/2, 25/2, प.नं. 49/355 (26) किला नं. 11 ता 13, 18. ता 20, 21/2, 22/2, 23/2 की कुल 3.417 हैव. कमांड खातेदारी में प्रार्थी सं. 1 का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके है। चित्रप्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है। यह कि प्रार्थी सं.1 व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 के नाम सयुक्त खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 9 एसटीबी के खाता सं. 48/24 के प.नं. 44/351 (9) किला नं. 1 ता 25, प.नं. 44/352 (18) किला नं. 1 ता 20, 21/2 ता 25/2, प.नं. 45/351 (10) सि. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1,–3/2, 4/1, 4/2, 5/3, 5/4, 6/3, 6/4, 7/1, 8 ता 13, 14/1, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2, प.नं. 45/352 (17) किला नं. 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 20, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/3, 25/4, प.नं. 45/354 (25) किला नं. 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24/2, 25/3, 25/4, प.नं. 47/351 (12) किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 की कुल 28.0651 हैव. कमांड अनकमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में प्रार्थी सं. 1 का 536/1871 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके है। चित्रप्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 ता 5 में वर्णित भूमि सांझा खाता की भूमि है। उक्त सांझा खाता की कृषि भूमि का प्रार्थी सं.1 के पिता के जीवनकाल में ही अच्छी मंदी व खाला रास्ता की सहुलियत अनुसार प्रार्थी सं.1 व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 के मध् य घरू बंटवारा कर दिया था। प्रार्थीगण को घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है। घरू बंटवारा निम्न प्रकार से है प्रार्थीगण सं. 1 ता 3 को घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि –तहसील पीलीबंगा के चक 2 टी के खाता सं. 36/20 के प.नं. 52/350 (30) किला . 1/2/.228, 25, 6/.152, 71.152, 8/.152, 9/.152, 10/.151, 16/.152, 17/. 152, 18/.152, 19/.152, 20/2/.151, 21/2/.228, 22, 23/1/.1393.378 4. कमांड खातेदारी।

प्रार्थी सं.1 को घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 9 एसटीबी के खाता सं. 48/24 के प.नं. 44/351 (9) किला नं. 1 ता 10, 13 ता 15 की 3.289 हैव. कमांड अनकमांड, प.नं. 45/351 (10) किला 1/1/.227, 1/2/.026, 2/1/.228, 2/2/.025, 3/1/.228, 3/2/.025, 4/1/.228, 4/21.025, 7111.126, 8 ता 13, 14/1/126 की 2. 782 हैक. कमांड मय खाला, प. नं. 47/351 (12) किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 की 1.265 हैव. कमांड, प.नं. 45/352 (17) किला नं. 1 ता 4, 5/1/198 की 1.210 हैक. कमांड खातेदारी इस प्रकार कुल 8.546 हैव. कमांड अनकमांड मय खाला खातेदारी।

प्रार्थीगण अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है। इसी अनुसार प्रार्थीगण खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के हकदार है व अनुसार प्रार्थीगण अपना खाता अप्रार्थीगण से तकसीम करवाकर रकम राज अलग करवाने के हकदार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:57:56 IST
Reason: SelfAttested

यह कि अप्रार्थीगण जो कि शातिर व तेज तर्रार व्यक्ति है प्रार्थीगण अपनी कब्जा काश्त की कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है। प्रार्थीगण ने अपनी कब्जा काश्त की कृषि भूमि को अपनी मेहनत व कमाई से उक्त कृषि भूमि को समतल कर उपजाऊ योग्य बनाया है। अब अप्रार्थीगण के मन में लालच पैदा हो गया है वे प्रार्थीगण को उसकी कब्जा काश्त की कृषि भूमि से बेदखल करने पर आमाद है व उक्त कृषि भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये अच्छी में से अच्छी कृषि भूमि को रहन बैय करने की फिराक में है। यदि वे अपने मकसद में

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना नितान्त मुश्किल होगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उनके कब्जा काश्त की कृषि भूमि में से बेदखल न करे व उक्त सयुक्त खाता की कृषि भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि अप्रार्थीगण तहसील पीलीबंगा के चक 2 टी के खाता सं. 36/20 के प.नं. 52/350 (30) किला नं. 1/2, 2 ता 9, 10/2, 11/2, 12 ता 19, 20/3, 21/2, 22, 23/1 की 5.580 हैक. कमांड खातेदारी, चक 2 टी के खाता सं. 20/22 के प.नं. 50/347 (9) किला नं. 1/3, 1/4, 2/3, 2/4, 3/3, 3/4, 4/3, 4/4, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 20, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/3, 25/4 की 5.707 हैक. कमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी, चक 8 एसटीबी के खाता सं. 36/27 के प.नं. 48/355 (25) किला नं. 15 ता 17, 24/2, 25/2, प.नं. 49/355 (26) किला नं. 11 ता 13, 18 ता 20, 21/2, 2212, 23/2 की कुल 3.417 हैक. कमांड खातेदारी व चक 9 एसटीबी के खाता सं. 48/24 के प.नं. 44/351 (9) किला नं. 1 ता 25, प.नं. 44/352 (18) किला नं. 1 ता 20, 21/2 ता 25/2, प.नं. 45/351 (10) ह्रि. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/3, 5/4, 6/3, 6/4, 7/1, 8 ता 13, 14/1, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2, प.नं. 45/352 (17) किला नं. 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 20, 21/2, 2212, 23/2, 24/2, 25/3, 25/4, प.नं. 45/354 (25) किला नं. 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24/2, 25/3, 25/4, प.नं. 47/351 (12) किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 की कुल 28.0651 हैक. कमांड अनकमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे, प्रार्थीगण को उनके कब्जा काश्त की कृषि भूमि में से बेदखल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस एक पक्षिय वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु सुनी गई जिसपर दिनांक 02.05.2024 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री शेलैन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया जो शामिल वाद है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बंद किया जा चुका है। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से श्री हनुमान भादू अधिवक्ता हाजिर जवाब अप्रार्थी संख्या प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार है –

यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होना स्वीकार है जिसमें प्रार्थीगण को कामयाबी कोई सम्भावना नहीं है यह कि प्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 के नाम सयुक्त खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 टी के खाता सं. 36/20 के प. न. 52/350 (30) किला नं. 1/2, 2 ता 9, 10/2, 11/2, 12 ता 19, 20/2, 21/2, 22, 23/1 की 5.580 हैक. कमांड खातेदारी में प्रार्थी सं. 1 का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके मुताबिक रिकॉर्ड स्वीकार है

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:37:56 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थी सं. 2, 3 व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 के नाम सयुक्त खाता में कृषि भुमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 टी के खाता सं. 20/22 के पं. नं. 50/347 (9) किला नं. 1/3,1/4, 2/3, 2/4, 3/3, 3/4, 4/3, 4/4, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2,

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

16/1,16/2 17 ता 20, 21/2, 22/2, 23/2, 24 /2, 25/3, 25/4 की 5.797 हैक्. कमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में प्रार्थी सं. 2 का 1635/11414 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके मुताबिक रिकॉर्ड स्वीकार है यह कि प्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 के नाम सयुंक्त खाता में कृषि भुमि तहसील पीलीबंगा के चक 8 एसटीबी के खाता सं. 36/27 के प.नं. 48/355 (25) किला नं. 15 ता 24 /2, 25/2, पं. नं. 49/355 (26) किला नं. 11 ता 13, 18 ता 20, 21/2, 22/2, 13/2 की कुल 3.417 हैक्. कमांड खातेदारी में प्रार्थी सं. 1 का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके मुताबिक रिकॉर्ड स्वीकार हैं।

यह कि प्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 के नाम सयुंक्त खाता में कृषि भुमि तहसील पीलीबंगा के चक 9 एसटीबी के खाता सं. 48/24 के पं न. 44/351 (9) किला नं. 1 ता 25, व पं. नं. 44/352 (18) किला नं. 1 ता 20, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2 व प. नं. 45/351 (10) विस. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/3, 5/4, 6/3, 6/4, 7/1, 8 ता 13, 14/1, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2, व प.न. 45/352 के मु. न. 17 के किला न. 1ता 4 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ज 20 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/3, 25/4.. 45/354 (25) सिस. 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24/2, 25/3, 25/4, व प. नं. 47/351 (12) किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 इस प्रकार 6 पत्थरो की कुल 28.0651 हैक्. कमांड अनकमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में प्रार्थी सं. 1 का 536/1871 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके मुताबिक रिकॉर्ड स्वीकार है

यह कि वाद पत्र की दफा 2 ता 5 में वर्णित भुमि सांझा खाता कि भुमि है। उक्त सांझा खाता की कृषि भूमि का वादी सं. 1 के पिता के जीवनकाल में ही अच्छी मंदी व खाला रास्ता की सहुलियत अनुसार प्रार्थी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य घरू बंटवारा कर दिया था। वादी को घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण शान्तिपुर्वक काबिज काश्त होना स्वीकार है घरू बंटवारा निम्न प्रकार से होना अस्वीकार हैं–

क. प्रार्थी सं. 1 ता 3 को घरू बंटवारा में कृषि भूमि होना अस्वीकार है –तहसील पीलीबंगा के चक 2 टी के खाता सं. 36/20 के प. नं. 52/350 (30) किला नं. 1/2/228, 25, 6/.152, 7/.152, 8/.152, 9/.152, 10/.151, 16/.152, 17/.152, 18/.152, 19/.152, 20/2/.151, 21/2/.228, 22, 23/1/.139 की 3.378 हैं. कमांड खातेदारी।

ख. प्रार्थी सं. 1 को घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमी होना अस्वीकार है –तहसील पीलीबंगा के चक 9 एसटीबी के खाता सं. 48/24 के प. नं. 44/351 (9) किला नं. 1 ता 10, 13 ता 15 की 3.289 हैक्. कमांड, प. नं. 45/351(10) किला नं. 1/1/.227, 1/2/.026, 2/1/.228, 2/2/.025, 3/1/228, 3/2/.025, 4/1/.228, 4/2/.025, 7/1/.026, 8 ता 13, 14/1/126 की 2.782 हैक्. कमांड, प. नं. 47/351 (12) किला नं. 1, 10, 11, 20 21 की 1. 265 हैक्. कमांड, प.नं. 45/352 (17) किला नं. 1ता 4, 5/1/.198 की 1.210 हैक. कमांड खातेदारी इस प्रकार कुल 8.546 हैक्. कमांड अनकमांड मय खाला खातेदारी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:57:56 IST
Reason: SelfAttested

क्योकि घरू बटवारे के अनुसार अप्रार्थी सख्या 03 को [illegible] भूमि प्राप्त है अप्रार्थी स. 3 को घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि [illegible] कब्जा काश्त है जो निम्न –तहसील पीलीबंगा के चक 9 एस टी बी के [illegible] 48/24 के प.न. 44/351 के मु. 9 के किला न. 20, 21 की कुल 0.506 है, व प. न. [illegible]/352 के मु.न. 17 के किला न. 9/0.192, 10 ता 20 की 2.783 है, किला न. 21/2, 22/2, 23/2, 25/3, 25/4 की कुल 3.886 है. व प.न. 45/354 के मु.न, 25 के किला न. 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 24, 25 की कुल 2.400 है. व चक 8 एस टी बी के खाता स. 36/27 के प. न. 49/355 के मु.न. 26 के 11 ता 13 की 0.759 है कमाण्ड व प. न. 48/355 के मु.न. 25 के किला न. 15/0.095 है,

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

कमाण्ड व चक 2 टी खाता स. 20/22 के प.न. 50/347 के मु न. 9 के किला न. 3/0. 152, 8, 13, 18 की 0.759 है. कमाण्ड व किला न. 17/0.126 है की कुल 1.037 है कमाण्ड व इसी चक के खाता स. 36/20 के प.न. 52/350 के मु.न. 30 किला न. 12 ता 18 की कुल 1.518 है कमाण्ड इस प्रकार तीनो चको की कुल 10.281 है. कमाण्ड अनकमाण्ड गैर मुमकिन खाला प्राप्त हुई । वादी ने निराधार तथ्यो पर दावा प्रस्तुत किया वादी द्वारा चाही गयी भूमि पर वादी का कब्जा काश्त नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 पूर्णत्य अस्वीकार है । क्योकि प्रथम दृष्टयां मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे नही है अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

स्टेट जवाब प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत हो चुका है शामिल पत्रावली है स्टेट जवाब इस आश्य का प्रस्तुत किया गया कि रास्ता खाला की सुविधा, पैत्रक भूमि के अलावा अन्य भूमि हो तो नियमानुसार राज्य हित को ध्यान में रखते हुए वाद पत्र का निस्तारण किया जाता है तो स्टेट को कोई आपत्ति नहीं है।

आदेश

बहस उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई। बहस में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया कि कृषि भूमि को अप्रार्थीगण बिना खाता विभाजन करवाये अच्छी में से अच्छी कृषि भूमि को रहन बैय करने की फिराक में है। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना नितान्त मुशकिल होगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उनके कब्जा काश्त की कृषि भूमि में से बेदखल न करे व उक्त सयुक्त खाता की कृषि भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया गया कि वादी ने निराधार तथ्यो पर दावा प्रस्तुत किया वादी द्वारा चाही गयी भूमि पर वादी का कब्जा काश्त नही है प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने भी प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु बहस में कथन किया गया। बहस पर मनन किया गया प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया प्रश्नगत रकबा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के संयुक्त खाता की भूमि का है पूर्व में प्रश्नगत रकबा के संबध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है जिनमें खाता विभाजन के संबंध में मुख्य विवाद है। हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा रही है पूर्व में जारी अस्थाई स्थगनादेश ता फैसला तथा कन्फर्म किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने [illegible] ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 02.05.2024 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:57:56 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा।